राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 5(3)नविवि/3/99 पार्ट जयपुर, दिनांक 2.2.2010

—:आदेश:—

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि) निस्तारण नियम–1974 के नियम 7–ए तथा राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/समस्त नगर विकास न्यासों एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा लीज होल्ड आधार पर आवंटित भूखण्ड/भवन के भूखण्डों के लीज होल्डरों द्वारा सम्पूर्ण बकाया लीज राशि (शहरी जमाबन्दी) एक मुश्त दिनांक 31.03.2010 तक जमा कराने पर मूल राशि पर देय ब्याज की राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या प.3(1)वित्त/राजस्व/10/000267 दिनांक 01.02.2010 की पालना में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एस.ए. फारूकी)
शासन उप सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
6- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7- आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8- आयुक्त/सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9- आयुक्त/सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10- निजी सचिव, उप शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11- सचिव, नगर विकास न्यास, (समस्त)..........................।
12- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–द्वितीय